न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

अपील सं0 : 04 सन 2023

अनवान :–

1. जतीन कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति खाती उम्र 7 साल नाबालिग जरिये सरक्षिका माता मंजू पत्नी रामेश्वरलाल जाति खाती निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र हसंराज जाति खाती निवासी उज्जलवास तहसील नोहर ।
2. कलावती पुत्री हसंराम जाति खाती निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. बाधो पत्नी हसंराम जाति खाती निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. मैना पुत्री हसंराम जाति खाती निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. ओमप्रकाश पुत्र हसंराम जाति खाती निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
6. शान्ति देवी पुत्री हसराम जाति खाती निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री हसंराम जाति खाती निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
8. लिछमा पुत्री हसंराम जाति खाती निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
9. सरपंच ग्राम पंचायत उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 2754 दिनांक 20.09.2022 रोही मौजा 11 बारानी जिसे ग्राम पंचायत उज्जलवास द्वारा तस्दीक किया गया को निरस्त करने ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18/06/24

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि चक 11 बारानी के खाता संख्या 532/500 की कुल 2.5300हैक भूमि जो हसंराज पुत्र गोविन्दराम को पुख्ता आवटित कृषि भूमि है हसराम पुत्र गोविन्दराम ने अपने नाम आवंटित भूमि रोही मौजा चक 11 बारानी की कुल 2.5300हैक में से 100 हिस्सा की वसीयत दिनांक 24.03.2015 को अपीलान्ट जतीन कुमार के पक्ष में निष्पादित करवाई गई थी हसराम पुत्र गोविन्दराम जाति खाती का देहान्त दिनांक 23.05.2015 को हो चुका है एवं हसराम पुत्र गोविन्दराम की मृत्यू के बाद वसीयतनामा दिनांक 24.03.2015 के आधार पर अपीलान्ट ने दिनांक 10/6/2015 को मुताबिक वसीयत के आधार पर इन्तकाल /नामान्तकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया एव तहसीलदार नोहर द्वारा प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का उज्जलवास को रिपोर्ट मंगवाई गई पटवारी हल्का उज्जलवास द्वारा रिपोर्ट दी गई कि वसीयतनामा मे वर्णित भूमि हसराम के नाम रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त रकबे पर किसी प्रकार का विवाद [illegible] वाद वसीयत पर आपत्ति प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक सुचना भी जारी की गई [illegible] बाद विवाद के सम्बध में रिपोर्ट भी चाही गई थी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:21:14 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान नामान्तकरण संख्या 275 दिनांक 20.09.2022 सरपंच ग्रम [illegible] उज्जलवास के द्वारा तस्दीक किया गया है ग्राम पंचायत उज्जलवास को अच्छी तरह से ज्ञान था की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपीलान्ट जतीन कुमार के पक्ष में वसीयत करवाई हुई है उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट स 1 ता 8 ने ग्राम पंचायत उज्जलवास से विरास्तन नामान्तकरण अपने पक्ष में करवाया गया है जो विधि विरूद्व एव पक्षिय तौर से दर्ज किया गया है जो अपास्त योग्य है।

अपीलाधीन नामान्तकरण का पूर्व में अपीलान्ट को ज्ञान नही था क्योकि अपीलान्ट अपने पति/पिता से अलग रहती है तथा अपीलान्ट पर्दाशीन औरत है तथा जिसे कानून की पेचदगियों का ज्ञान नही है तथा अपीलान्ट ने वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 8 ने विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करवा लिया है इसलिये प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर ज्ञान से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है नामान्तकरण की चुनौती देने में परिसीमा अवधी कही पर आडे नही आती है फिर भी तकनीकी त्रुटीयो से बचने के लिये मियाद प्रार्थना पत्र सलग्न अपील प्रस्तुत किया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2754 दिनांक 20.09.2022 रोही मौजा चक 11 बारानी निरस्त फरमावे एव वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 की ओर से मागेराम अधिवक्ता उपस्थित आये।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मिमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया वाद भूमि हसराम पुत्र गोविन्दराम को आवटित भूमि है हसराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि में से 100 हिस्सा की भूमि जतीन पुत्र रामेश्वरलाल के पक्ष मे वसीयत करवाई गई थी हसराम को देहान्त दिनांक 23.05.2015 को हो चुका है हसराम के देहान्त होने पर हसराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की कार्यवाही अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय में आरम्भ कर दी थी जिसकी जानकारी सरंपच ग्राम पचायत उज्जलवास एव पटवारी हल्का को थी फिर भी हसराम के देहान्त होने पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2475 विरास्तन दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्व है रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को वसीयत के अनुसार कार्यवाही विचाराधीन होने का ज्ञान होने के उपरान्त भी विरास्तन नामान्तकरण दर्ज /तस्दीक किया गया है जो उचित नही है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2754 रोही मौजा चक 11 बारानी निरस्त किया जाकर वसीयत के अनुसार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 ,6 ता 8 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की नामान्तकरण संख्या 2754 दिनांक 20.09.2022 विधि अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही सुनवाई उपरान्त दर्ज किया गया है विरास्तन नामान्तकरण का ज्ञान अपीलान्ट को था फिर भी किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही की गई थी हसराम ने जतीन कुमार अपीलान्ट के पक्ष में कोई वसीयत करवाई गई का ज्ञान नही था हसराम ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नही करवाई गइ है यदि की गई तो वह शुन्य एव प्रभावहीन है वाद भूमि रेस्पोडेन्टस के हक हिस्सा की भूमि है जो सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है अपील अपीलान्ट खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि हसराम पुत्र गोविन्दराम जाति खाती निवासी उज्जलवास के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो से स्पष्ट है जिसके सम्बध में रेस्पोडेन्टस ने किसी प्रकार का विरोध या अन्यत्र कथन नही किये है

हसराम पुत्र गोविन्दराम जाति खाती ने अपने जीवनकाल में दिनांक 24.03.2015 को अपीलान्ट जतीन कुमार के नाम रजिस्टर्ड वसीयत करवाई थी जो प्रस्तुत वसीयतनामा की प्रति से स्पष्ट है हसराम पुत्र गोविन्दराम जाति खाती का देहान्त दिनांक 23.05.2015 को हो चुका है जो मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:21:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हसराम पुत्र गोविन्दराम के द्वारा दिनांक 24.03.2015 को पंजीबद्व करवाई गई वसीयत को कही पर भी चैलेन्ज नही किया गया है ना ही पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है एव अपीलान्ट ने वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की कार्यवाही तहसील कार्यलय में की गई थी जो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एव सार्वजनिक विज्ञप्ति जो तहसीलदार नोहर द्वारा जारी की गई से साबित है हसराम पुत्र गोविन्दराम की वसीयत की कार्यवाही तहसील कार्यालय में विचारधीन है की जानकारी सरपंच ग्राम पचायत उज्जलवास एव पटवारी हल्का को भली प्रकार से थी फिर भी हसराम पुत्र गोविन्दराम के देहान्त होने पर विरास्तन नामान्तकरण की कार्यवाही की जाकर विरास्तन नामान्तकरण संख्या 2754 दिनांक 20.09.2022 को दर्ज /तस्दीक किया गया है जो न्यायोचित नही है।

सरपंच ग्राम पचायत उज्जलवास एव पटवारी हल्का का दायित्व था कि रेस्पोडेन्टस को अवगत करवाते की हसराम की वसीयत के अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है इसलिये विरास्तन नामान्तकरण की कार्यवाही नही हो सकती किन्त विधि विरूद्व रूप से एक पक्षिय कार्यवाही करते हुए विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत उज्जलवास एव पटवारी हल्का को वसीयत के अनुसार नामान्तकरण की तहसील कार्यलय में विचाराधीन होने की जानकारी होने के उपरान्त भी विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो आपस्त योग्य है अपीलान्ट की वसीयत को ध्यान में रखते हुए एवं अपीलान्ट को सुनवाइ का अवसर दिया जाकर पुन नामान्तकरण दर्ज करवाया जाना उचित है

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 2754 रोही मौजा चक 11 बारानीं स्वीकृत दिनांक 20.09.2022 को निरस्त किया जाता है जाकर प्रकरण तहसीलदार राजस्व नोहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता कि अपीलान्ट के पक्ष में पंजीबद्व करवाई गई वसीयत को ध्यान में रखते हुए उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाकर पूनः विधि सम्मतः निर्णय पारित किया जावें निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/06/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:21:14 IST
Reason: SelfAttested